फैक्स/ई–मेल/महत्वपूर्ण/

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

चतुर्थ तल,(द्वितीय टावर), पुलिस मुख्यालय, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ, लखनऊ–226002

पत्र संख्याः–डीजी–परिपत्र 09 /2025 दिनांकःलखनऊःमार्च 02 , 2025

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

विषयः–त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप अधिक भुगतान की वसूली में आ रही कठिनाईयों के निवारण हेतु विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों के वेतन निर्धारण एवं अन्य देयों के भुगतान के सम्बन्ध में ।

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ गृह(पुलिस)अनुभाग–1, के पत्र संख्याः1/885670/छः–पु–1/2025 दिनांक 20.02.2025 (अनुलग्नक सहित छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2. अवगत कराना है कि राज्य सरकार के कार्मिकों के सटीक वेतन निर्धारण हेतु शासन द्वारा समय–समय पर सुस्पष्ट एवं विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये जाते रहे हैं, ताकि अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के पूर्व ही उनके समस्त विधिमान्य देयकों, का भुगतान अभिनिर्धारित कर दिया जाए तथा सेवानिवृत्ति के उपरान्त अनियमित भुगतानित धनराशि की रिकवरी जैसी स्थिति को निवारित किया जा सके।

अतः अपेक्षा है कि मा0 उच्च न्यायालय के निर्देश के क्रम में प्रस्तर–5 में वर्णित उर्पयुक्त शासन के सन्र्दभित पत्र दिनांक 15.02.2025 एवं 20.02.2025 द्वारा निर्गत दिशा –निर्देशों का भली–भॉति अध्ययन/परिशीलन कर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए, अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को शासन द्वारा निर्गत उक्त दिशा–निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नकःयथोपरि।

2.3.25
(प्रशान्त कुमार)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1.विशेष सचिव, गृह(पुलिस)अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
2.वित्त नियंत्रक, पुलिस मुख्यालय, लखनऊ ।
3.समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ।
4.समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5.समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।
6.समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश ।
7.समस्त सेनानायक/प्रभारी, पीएसी वाहिनियों, उत्तर प्रदेश।

1005(002)/21/2025-गृह (पुलिस) अनुभाग-1-home department-Part(1)

V-700(6)/25 3 I/885670

अतिमहत्वपूर्ण/मा0 उच्च न्यायालय प्रकरण
संख्या:-I/88 5670/छः-पु-1/2025

प्रेषक,

संजय प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पुलिस अधीक्षक, स्थापना मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ। 20.02.25

गृह (पुलिस) अनुभाग-1 लखनऊः दिनाँकः 20-02-2025

विषयः त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप अधिक भुगतान की वसूली में आ रही कठिनाईयों के निवारण हेतु विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों के वेतन निर्धारण एवं अन्य देयों के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-I/881351/6-1001/5/2025, दिनांक-15.02.2025 तथा पत्र संख्या-883955/6-1005(002)/21/2025, दिनांक-15.02.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रकरण में वांछित आख्या अद्यतन अप्राप्त है।

2- उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के कार्मिकों के सटीक वेतन निर्धारण हेतु शासन द्वारा समय-समय पर सुस्पष्ट एवं विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये जाते रहे है, ताकि अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृति के पूर्व ही उनके समस्त विधिमान्य देयकों का भुगतान अभिनिर्धारित कर दिया जाए तथा सेवानिवृति के उपरान्त अनियमित भुगतानित धनराशि की रिकवरी जैसी स्थिति को निवारित किया जा सके।

पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ 20.02.25

3- विषयगत प्रकरण पर समय-समय पर शासनादेश निर्गत किये गए हैं, दृष्टांत स्वरूप कतिपय शासनादेशों का विवरण निम्नवत् अंकित हैः-

संख्या- डब्लू 1640/6-पु-1-2021-अ600(16)/2021 दिनांक 16.08.2021	वेतन निर्धारण हेतु दिशा-निर्देश निर्गत करते हुए वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 21.11.2016 के अनुसार त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण हेतु जिम्मेदार शासकीय सेवकों से अधिक भुगतान राशि को क्षतिपूर्ति/वसूली की व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में।
संख्या- 1843044/6-पु-1-2021-अ600(16)/2021 दिनांक 28.03.2023	त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण की स्थित में सम्बन्धित अधिकारी एवं कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने एवं वसूली न हो पाने की दशा में उत्तरदायी अधिकारी एवं कर्मचारी से उक्त धनराशि की वसूली करने के सम्बन्ध में।

संख्या- डब्लू 2-2025/वे0आ0-2-77/दस-2025-ई0प0क0सं0-1846680 दिनांक 10.02.2025	त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में निम्नवत् दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं- (i) यह सुनिश्चित किया जाये कि ऐसे प्रकरण जिनमें प्रोन्नत वेतनमान/समयमान वेतनमान/ए0सी0पी एवं अन्य लाभ प्राप्त होने पर वेतन निर्धारण किये गये हों, उनमें कार्मिक से संलग्न प्रारूप पर इस आशय की सहमति पत्र अण्डरटेकिंग आवश्यक रूप से प्राप्त कर ली जाये कि यदि त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण/आगणन के फलस्वरूप देयता से अधिक भुगतान हो गया हो तो सम्बन्धित कार्मिक के देयकों से वसूली/समायोजन सुनिश्चित किया जाये। (ii) समस्त विभागाध्यक्षों द्वारा अपने विभागों के कार्यालाध्यक्षों/आहरण वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया जाये कि वेतन निर्धारण के प्रारूप, जिसका सहमति पत्र/अण्डरटेकिंग एक अनिवार्य एवं अविभाज्य अंश होगा, को कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी द्वारा कार्मिक के प्रत्येक वेतन निर्धारण के अवसर पर सेवा पुस्तिका में सम्बन्धित कार्मिक के साथ संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित करते हुए सेवा पुस्तिका में यथास्थान संलग्न किया जाना सुनिश्चित करेंगे। समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी सेवा सम्बन्धी विवरण एवं सहमति पत्र को वेतन निर्धारण के प्रारूप का अंग बनाया जाना सुनिश्चित करेंगे। (iii) समस्त विभागाध्यक्षों एवं कार्यालयाध्यक्षों/आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा सेवा सम्बन्धी विवरण एवं सहमति पत्र को वेतन निर्धारण के प्रारूप का अंग बनाते हुए कार्मिकों के वेतन निर्धारण एवं देयों के आगणन की जांच आवश्यक रूप से उसी वित्तीय वर्ष में ही पूर्ण करायी जाये। (iv) ये भी निर्देशित किया जाता है कि वेतन निर्धारण एवं सहमति पत्र सेवा पुस्तिका में संलग्न होते हुए भी त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण/देयों के आगणन की जांच में कदाशयता सिद्ध होने पर सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष/ आहरण वितरण अधिकारी/ वित्त नियंत्रक/वित्त एवं लेखाधिकारी व सम्बन्धित कार्मिक का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण/आगणन का लाभ प्राप्त करने वाले के कार्मिक से वसूली/समायोजन न हो पाने की दशा में अधिक भुगतान लिए उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

	(v) सेवा सम्बन्धी विवरण एवं सहमति पत्र को वेतन निर्धारण के प्रारूप एवं सेवापुस्तिका का अंग न बनाये जाने की दशा में अधिक भुगतान के लिए उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से उक्त धनराशि की वसूली/समायोजन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाये। (vi) विभागीय आन्तरिक लेखा परीक्षा समिति द्वारा मुख्यतः त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप वसूली सम्बन्धी प्रकरणों का अनिवार्यतः मासिक अनुश्रवण तथा शासन के आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ द्वारा त्रैमासिक सुनिश्चित किया जाये।

4- अवगत कराना है कि उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित रिट याचिका संख्या-11575/2024 मदन मदन जी शुक्ला बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ द्वारा सुनवाई के उपरान्त दिनांक 13.02.2025 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया, जिसके क्रियात्मक अंश निम्नवत् हैः-

3. It has been submitted that the State has taken cognizance of the situation which has been pointed out in the previous orders of this Court pertaining to the payment of excess amount of salary and other service benefits to certain police officials. It has further been submitted that as per the preliminary scrutiny done by the State, and it has been found out that there are large number of persons who have received such undue benefits, to which, they were not legally entitled. It has also been submitted that to prevent any such wrong fixation, a Government order has been issued on 10.02.2025, from which, it is evident that the State Government is also taking cognizance of the deep problem which has been highlighted in the present case.

4. The Finance Controller, Police Establishment, has submitted that it was pointed out that the entire procedure of fixation of salary and granting them other higher service benefits is duly approved by the Finance Officers at district level and ultimately the responsibility vests with the Finance Department, which is headed by the Finance Controller.

5. In reply to the query raised by the Court, it has been informed that 246 posts of Finance/Accounts Officer are to be created in the State of UP which shall come a long way to ameliorate the present crisis. Prima facie, the role of Finance

Department and other officials responsible for determining grant of higher salary/allowances deserve closer scrutiny to establish the systematic pattern of disbursement of higher allowances only to certain persons.

6. After perusal of the documents as well as hearing the learned counsels, this Court is of the opinion that not much has been done to fix the responsibility pertaining to the grant of financial benefits. This court has been assured by all the officers present that sincere efforts are being made to determine the persons who are taking advantage of their positions in fixing incorrect fixation of financial benefits to the petitioner and other similarly situated persons and it shall be informed about the outcome after examining all the documents. In this regard, it has been submitted that the respondents would be proceeding to examine a few cases as test cases to find out, at what point, the problem has occurred and also inform this Court, as to how, they wish to proceed in the matter and fix responsibility of the person responsible for the same, as ultimately any unauthorized/illegal pilferage of State funds cannot be permitted and it is the bounden duty of all concerned to immediately plug the loophole .

7. For the aforesaid purpose, 10 days' time is granted to the respondents.

8. List this case on 03.03.2025 within top 10 cases.

9. On the next date, on the basis of material produced before the Court, it will be determined whether the inquiry be permitted to be conducted by the department itself or any specialized agency/independent agency is required to unearth the huge scam and to stem the unchecked flow of Government funds in the hands of Police Officials, keeping in mind that nearly 2 years time has lapsed when this issue was brought to the knowledge of the respondents by this Court.

10. Interim order, if any, shall continue till the next date of listing and there shall be no recovery made in pursuance of the said order in all connected cases.

11. The presence of Shri Sanjay Prasad, Additional Chief

Secretary, (Home), Govt. of U.P., Lucknow is hereby dispensed with. All the other officers present today as well as one senior officer from the Police Headquarter shall remain present before this Court on the next date.

5- उपर्युक्त के क्रम में उल्लिखित शासनादेशों तथा माननीय उच्च न्यायालय के उपर्युक्तवर्णित आदेश के अनुपालन में एतद्द्वारा निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये जाते हैं:-

(1) पुलिस कर्मियों को पहले से दिए गए एसीपी/वेतन के निर्धारण की पुनः जाँच करने के लिए प्रत्येक जनपद/इकाई में पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा जनपद/इकाई स्तर पर जनपद में नियुक्त कार्मिकों का वेतन निर्धारण परीक्षण अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाए;

(2) प्रायः संज्ञान में आता है कि सेवानिवृत्ति की तिथि के तत्काल पूर्व ही लेखा अधिकारियों को ऐसे प्रकरण भेजे जाते हैं और यह भी एक प्रमुख कारण है कि गत वेतन निर्धारण के मामलों में ससमय रिकवरी नहीं हो पाती है। वित्त नियन्त्रक पुलिस मुख्यालय लखनऊ द्वारा सहमति/ पुनरीक्षण के बाद ही जनपद/इकाई द्वारा वेतन निर्धारण आदेश जारी किया जाए;

(3) जनपद स्तर से वेतन निर्धारण/ए0सी0पी0 देयकों एवं बकाया धनराशि (एरियर) भुगतान आदि तथा उसके फलस्वरूप भुगतान किये गये बकाया धनराशि (एरियर) में अनियमितताओं की जांच हेतु उपरोक्त गठित जनपद स्तरीय कमेटी द्वारा प्रत्येक जनपद से 50 कार्यरत कर्मियों के प्रकरणों (विशेषकर ऐसे समस्त प्रकरण सम्मिलित करते हुए, जिसमें बैच वार समान वेतन से इतर वेतन किसी अनियमितता या जांच आदि अथवा व्यक्तिगत आवेदन पत्र या वेतन निर्धारण/ए0सी0पी निर्धारण आदि के विरुद्ध की गयी शिकायत के आधार पर निर्धारण किया गया हो) की समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत सुसंगत शासनादेशों/नियमों एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत जांच की जाए;

(4) उक्त जांच के माध्यम से यह निर्धारित कर लिया जाय कि त्रुटिपूर्ण वेतन आदि के निर्धारण समस्या किस बिंदु पर उत्पन्न हुई है;

(5) उच्च वेतन/भत्ते प्रदान करने के निर्धारण के लिए उत्तरदायी अधिकारियों की भूमिका की गहन जांच की जाय, ताकि केवल कुछ व्यक्तियों को ही उच्च भत्ते वितरित करने का व्यवस्थित पैटर्न स्थापित किया जा सके;

(6) उक्त जांच के निष्कर्ष अनियमित वेतन निर्धारण ए0सी0पी0 की देयता आदि के कारण अनियमित भुगतान के सम्बन्ध में निहित धनराशि, उक्त अनियमित भुगतान धनराशि की वसूली के संबंध में नियमानुसार कृत कार्यवाही की आख्या एवं अनियमित वेतन निर्धारण/ए०सी०पी० देयकों हेतु सम्बन्धित अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या तीन दिवस के भीतर शासन को

उपलब्ध कराई जाए;

(7) उक्त मामलों की जांच परीक्षण मामलों के रूप में करते हुए भविष्य में ऐसे त्रुटिपूर्ण वेतन आदि के निर्धारण को निवारित करने सम्बन्धी औचित्यपूर्ण एवं व्यवहारिक कार्य योजना भी तीन दिवस के भीतर गृह विभाग को उपलब्ध करा दी जाय। यदि प्रकरण में किसी विशेष अनुसंधान एजेंसी से अन्वेषण की आवश्यकता हो तो तत्सम्बन्धी प्रस्ताव भी तीन दिवस के भीतर शासन को उपलब्ध करा दिया जाए;

(8) यह शत प्रतिशत सुनिश्चित किया जाएं कि त्रुटिपूर्ण वेतन आदि के भुगतान के द्वारा राज्य के धन की किसी भी अनधिकृत/अवैध चोरी को निवारित किया जाए;

6- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय के निर्देश के क्रम में प्रस्तर-5 में वर्णित निर्देशों का पूर्ण प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये कृत कार्यवाही की आख्या अपने सुस्पष्ट अभिमत सहित 03 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से एवं शासन के उपर्युक्त संदर्भित पत्रों दिनांक-15.02.2025 तथा दिनांक-18.02.2025 द्वारा अपेक्षित आख्या सुस्पष्ट अभिमत के साथ शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि तद्नुसार कृत कार्यवाही से मा0 उच्च न्यायालय को समयान्तर्गत अवगत कराया जा सके।

भवदीय,
Signed by Sanjay Prasad
Date: 19-02-2025 18:08:26
(संजय प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैवः

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि कृपया उपर्युक्तानुसार समयान्तर्गत कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें:-

(1) अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0, लखनऊ।
(2) अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(3) वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
(4) निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ ।
(5) समस्त अनुभाग, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
(6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
Signed by Mahendra Singh
Date: 20-02-2025 11:40:08
(महेन्द्र सिंह)
विशेष सचिव।

महत्वपूर्ण/समयबद्ध
मा0 उच्च न्यायालय प्रकरण
संख्या: 881351 / 6-1001/5/2025

प्रेषक,

वैभव श्रीवास्तव,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

गृह पुलिस अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 15 फरवरी, 2025

विषय: त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप अधिक भुगतान की वसूली में आ रही कठिनाईयों के निवारण हेतु विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों के वेतन निर्धारण एवं अन्य देयों के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित रिट याचिका संख्या: 11575/2024 मदन जी शुक्ला बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ द्वारा की गयी सुनवाई दिनांक 13.02.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना एवं वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय भी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहे।

2- प्रश्नगत प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय के निर्देश के क्रम में जनपद स्तर से वेतन निर्धारण/ए0सी0पी0 देयकों एवं बकाया धनराशि (एरियर) भुगतान आदि तथा उसके फलस्वरूप भुगतान किये गये बकाया धनराशि (एरियर) में अनियमितताओं के दृष्टिगत रिट याचिका सं0: 5238/2022 राम गुलाम बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.09.2022 के अनुपालन में गठित जनपद स्तरीय कमेटी से प्रत्येक जनपद से 50 कार्यरत कर्मियों के प्रकरणों (विशेषकर ऐसे समस्त प्रकरण सम्मिलित करते हुए, जिसमें बैचवार कार्यवाही से इतर व्यक्तिगत आवेदन पत्र अथवा वेतन निर्धारण/ए0सी0पी0 निर्धारण आदि के विरूद्ध की गयी शिकायत के आधार पर प्रदत्त) की वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के पत्र संख्या: 60/2016-वे0आ0-2-1375/दस-2016 दिनांक 21.11.2016, गृह (पुलिस) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या: डब्लू-1640/6-पु-1-2021-अ-600(18)/2021 दिनांक 16.08.2021, शासनादेश संख्या: 1843044(1)/6-पु-1-2024

पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना,
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0, लखनऊ 17.02.25

पुलिस अधीक्षक, स्थापना
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक
उ0प्र0 लखनऊ।
17/02/25

दिनांक 28.08.2024 एवं वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के पत्र सं०: 2/2025/वे0आ0-2-77/दस-2025-ई0प0क0सं0-1846680 दिनांक 10.02.2025 (प्रति संलग्न) तथा समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत वर्तमान में प्रवृत्त अन्य सुसंगत शासनादेशों एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत जांच कराते हुए अनियमित वेतन निर्धारण/ए0सी0पी0 की देयता आदि के कारण अनियमित भुगतान के सम्बन्ध में निहित धनराशि, उक्त अनियमित भुगतान धनराशि की वसूली के संबंध में नियमानुसार कृत कार्यवाही की आख्या एवं अनियमित वेतन निर्धारण/ए0सी0पी0 देयकों हेतु सम्बन्धित अधिकारियों तथा कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित कराने की अपेक्षा की गयी है।

3- मा0 उच्च न्यायालय द्वारा यह भी अपेक्षा की गई है कि उक्त अनियमित भुगतान के प्रकरण जानबूझकर कदाशयतापूर्ण दुरभिसंधि के रूप में तो कारित नहीं किये गये हैं, इस परिप्रेक्ष्य में भी पुलिस मुख्यालय जांच करते हुए अपनी सुस्पष्ट आख्या भी प्रस्तुत करे।

4- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार प्रस्तर-2 व 3 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा की गयी अपेक्षा के क्रम में कृत कार्यवाही की आख्या अपने सुस्पष्ट अभिमत सहित 03 दिवस के भीतर शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि तद्नुसार समस्त कृत कार्यवाही से मा0 उच्च न्यायालय को समयान्तर्गत अवगत कराया जा सके।

संलग्नकः- यथोक्त।

भवदीय,

Signed by
Vaibhav Shrivastava
(वैभव श्रीवास्तव)
सचिव।
Date: 15-02-2025 12:22:31

संख्या: 881351 (1)/ 6-1001/5/2025, तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि कृपया उपर्युक्तानुसार समयान्तर्गत कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें:-

(1) अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0, लखनऊ।

(2) अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।

(3) वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।

(4) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ।

Signed by
Rakesh Kumar Malpani
Date: 15-02-2025 13:12:26

आज्ञा से,

(राकेश कुमार मालपाणी)
विशेष सचिव।

संख्या-10/2016-वे0आ0-2-1375/दस-2016

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 21 नवम्बर, 2016

विषयः- विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों के वेतन निर्धारण एवं अन्य देयों के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय के सेवा-निवृत्त, उप नियन्त्रक के त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप देयता से अधिक हुए भुगतान की वसूली/समायोजन हेतु निर्गत किये गये आदेश को रिट याचिका संख्या-694(एस0बी0)/2010 माता प्रसाद बनाम राज्य व अन्य के माध्यम से चुनौती दी गयी जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा मा0 उच्चतम् न्यायालय के State of Punjab & others Vs Rafiq Masih (White washer) & others (2015) 4 SCC 334 के निर्णय के आधार पर दिनांक 15 सितम्बर 2015 को आदेश पारित किये गये जिसका प्रभावी अंश निम्नवत् है :-

In view of the aforesaid facts, learned counsel for the petitioner has submitted that such a case has been dealt with by the Hon'ble Supreme Court in the case of State of Punjab and others v. Rafiq Masih (White Washer) and others; (2015) 4 SCC 334. The Hon'ble Supreme Court had discussed each and every aspect on the point of recovery of the amount paid in excess of their entitlement to the employees and has laid down the following proposition of law, which is reproduced below:

"18. It is not possible to postulate all situations of hardship which would govern employees on the issue of recovery, where payments have mistakenly been made by the employer, in excess of their entitlement. Be that as it may, based on the decisions referred to herein above, we may, as a ready reference, summarise the following few situations, wherein recoveries by the employers, would be impermissible in law:

(I) Recovery from employees belonging to Class-III and Class-IV service (or Group 'C' and Group 'D' service).
(II) Recovery from retired employees, or employees who are due to retire within one year, of the order of recovery.
(III) Recovery from employees, when the excess payment has been made for a period in excess of five years, before the order of recovery is issued.

.....2/-

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(iv) Recovery in cases where an employee has wrongfully been required to discharge duties of a higher post, and has been paid accordingly, even though he should have rightfully been required to work against an inferior post.

(v) In any other case, where the Court arrives at the conclusion, that recovery if made from the employee, would be iniquitous or harsh or arbitrary to such an extent, as would far outweigh the equitable balance of the employer's right to recover."

Learned counsel for the petitioner urged that the petitioner's case is fully covered under clause-ii as enumerated above. He is retired employee, therefore, the proposed recovery should not be made from him. The petitioner's retirement from service is not disputed. In view of the law laid down by the Hon'ble Supreme Court, we are of the view that the recovery notice issued to the petitioner after about four and a half years from his retirement, is unsustainable. Therefore, we hereby quash the Office Memo dated 20.11.2009.

At this stage, we are informed that the proposed amount has already been recovered from the amount of leave encashment, therefore, it requires direction of this Court to the respondents to refund the same to the petitioner. Since we have held that the amount as proposed is not recoverable, we hereby direct the respondents to refund the amount, already recovered, to the petitioner within one month from the date of communication of this order.

The writ petition is, accordingly, allowed.

2- इसी प्रकार पूर्वी गंगा नहर निर्माण खण्ड-1, नजीबाबाद के सहायक अभियन्ता के त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप देयता से अधिक हुए भुगतान के समायोजन/वसूली हेतु पारित आदेश को चुनौती दिये जाने हेतु मा0 अधिकरण में योजित निर्देश याचिका संख्या-1197/2011 दयानन्द गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में दिनांक 10 दिसम्बर, 2015 को पारित आदेश का प्रभावी अंश निम्नवत् है :-

"प्रस्तुत सन्दर्भ याचिका स्वीकार की जाती है। प्रश्नगत आदेश दिनांक 27-12-2006, 29-3-2011, 29-4-2011 एवं 14-6-2011 के आदेश जहाँ तक वेतन निर्धारण में त्रुटि के आधार पर की जाने वाली वसूली से सम्बन्धित है को अपास्त किया जाता है। विपक्षीगण को आदेशित किया जाता है कि याची के वेतन निर्धारण में किसी त्रुटिवश भुगतान के वापसी आदेश के क्रम में वसूली गयी हो तो उसका भुगतान यथाशीघ्र करना सुनिश्चित करें और यदि याची को ऐसी देय कोई धनराशि का भुगतान इस निर्णय व आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के 3 माह के बाद किया जाता है तो उस धनराशि पर याची 9 प्रतिशत साधारण ब्याज भी पाने का अधिकारी होगा। पक्षकार अपना-अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।"

....3/.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

3- त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप राजकोष से अधिक भुगतान न हो और अधिक भुगतान होने की स्थिति में उसका त्वरित संज्ञान लेकर समायोजन/वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने के विषय पर निम्नानुसार विधिक परामर्श प्राप्त हुआ :-

> However, it would be useful that general directions are issued to all Finance & Account Service Officers posted in various departments to be extremely careful in pay fixation of employees and to routinely and without fail put a rider in each of the pay fixation orders issued by them that excess payment, if any, shall be recovered by adjustment from salary and other dues of the employee in future.
>
> Also, effort should be made for auditing of accounts each year more carefully to detect excess payment and wrong fixation of pay at the earliest possible opportunity, so that recovery orders may be issued immediately thereafter and within five years' period fixed by the Hon'ble Supreme Court in the case of Rafiq Masih or atleast well before the retirement of the employee concerned.

4- उपर्युक्तानुसार प्राप्त विधिक परामर्श के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिकों के वेतन निर्धारण/उनके देयों के आगणन में विशेष सावधानी अपनायी जाय तथा उनके भुगतान के पूर्व सम्बन्धित कार्मिक से इस आशय की सहमति/अण्डरटेकिंग संलग्न प्रारूप पर आवश्यक रूप से प्राप्त कर ली जाय कि यदि त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण/आगणन के फलस्वरूप देयता से अधिक भुगतान हो जाता है तो वह उसका समायोजन/वसूली करायेंगे।

5- उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिकों के वेतन निर्धारण एवं अन्य देयों के आगणन की जाँच उसी वित्तीय वर्ष में ही पूर्ण करायी जाय और त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण/देयों के आगणन की जाँच में कदाशयता सिद्ध होने पर सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाये। त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण/आगणन का लाभ प्राप्त करने वाले कार्मिक से वसूली/समायोजन न हो पाने की दशा में अधिक भुगतान के उत्तरदायी कार्मिक से उक्त धनराशि की वसूली/समायोजन किया जाये। उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

भवदीय,

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

अनूप चन्द्र पाण्डेय
प्रमुख सचिव।

संख्या-60/2016-वे0आ0-2-1375(1)/दस-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश।

(2) प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।

....4/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

(3) महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
(4) समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(5) निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश।
(6) समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(7) उ०प्र० सचिवालय के समस्त अनुभाग/इरला चेक अनुभाग।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

मनोज कुमार जोशी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

संलग्नक-3

[illegible]
संख्या-[illegible]

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश।

गृह (पुलिस) अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 16 अगस्त, 2021

विषय: मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण लखनऊ में योजित निर्देश याचिका संख्या-92/2010 भूप सिंह राजपूत बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांकित 10.03.2021 के अनुपालन में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मा0 लोक सेवा अधिकरण लखनऊ द्वारा दिनांक 19.03.2021 को पारित किये गये आदेश का प्रभावी अंश निम्नवत है:-

"It is a matter of grave concern that erroneous pay fixation is done and not checked till the time of superannuation. The petitioner is being given the benefit of the Hon'ble Supreme Court's judgment but the petitioner has been overpaid for nine years by wrong and higher fixation of grade pay of Rs. 5,400/- instead of grade pay of Rs. 4,600/- Other personell of equivalent post of the petitioner would have received the correct pay on the basis of grade pay of Rs.4,600/-. It seems that it is only the responsibility of the Finance Controller. U.P. of Police Headquarter to check and that too at the time of superannuation. In a number of cases, this kind of anomaly had been found which questions the coincidence of such matters of higher fixation of pay. Respondent No. 1, Additional Chief Secretary, Department of Home is directed to put in place a time - bound system of cross - checking whenever pay fixations are done and hold a person by designation accountable for their correctness."

2. मा0 अधिकरण द्वारा पारित उपर्युक्त आदेश के अनुपालन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पुलिस विभाग के विभिन्न कार्यालयों में वेतन निर्धारण / प्रचलित प्रक्रिया में पायी जाने वाली त्रुटियों के पुनरावृत्ति न होने तथा त्रुटियों के निवारण हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किया जाये:-

1) प्रत्येक कार्यालय में वेतन निर्धारण / संशोधन की कार्यवाही अपर पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा की जाय, जिसमें प्रधान लिपिक / चरित्र पंजिका लिपिक / क्षेत्राधिकारी कार्यालय को सदस्य के रूप में नामित किया जाय। उक्त कमेटी के वेतन संशोधन / निर्धारण की संस्तुति के बाद सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त अन्तिम रूप से वेतन निर्धारित / संशोधित किया जाये।

2) [illegible] में अतिरिक्त रूप से अधिक भुगतान किया जाए।

3) [illegible] करते हुए वेतन निर्धारित / पुनर्निर्धारित [illegible] होगी, जिसके लिए [illegible] व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

4) अपर / इकाई स्तर पर वेतन निर्धारण संबंधित में किसी प्रकार की भ्रान्तियाँ / कठिनाईयाँ उत्पन्न होने पर स्थापना अनुभाग (Establishment) पुलिस मुख्यालय से [illegible] निदेश प्राप्त [illegible] कार्यवाही की जायेगी।

5) [illegible] द्वारा किसी कर्मी के वेतन निर्धारण / संशोधन कर्मी को [illegible] में दिये सम्पूर्ण तथ्यों / प्रतिकूलताओं का [illegible] उल्लेख करते हुए [illegible] के अनुसार अपनी संस्तुति दी जाएगी।

6) जिन मामलों में [illegible] पूर्व से वेतन संशोधन / निर्धारण अपेक्षित हो, उन मामलों में पुलिस मुख्यालय के वित्त नियंत्रक से पूर्व परामर्श / मार्गदर्शन प्राप्त करने के उपरान्त ही वेतन संशोधन की कार्यवाही किया जाए, जिससे अधिवर्षता आयु पर असमंजस की स्थिति उत्पन्न न हो सके।

7) सही – सही वेतन निर्धारण एवं भुगतान हेतु कार्यालयाध्यक्ष जिम्मेदार होंगे। साथ ही यदि किसी मामले में त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण होने के फलस्वरूप अधिक भुगतान की स्थिति बनती है तथा अधिक भुगतान प्राप्त करने वाले कार्मिक से किन्हीं कारणों से वसूली सम्भव नहीं हो पाती है तो ऐसी स्थिति में शासनादेश संख्या-G-2018-वे0आ0-2-1375/दस-2018 दिनांक 21.11.2018 के अनुसार त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण / अधिक भुगतान हेतु जिम्मेदार शासकीय सेवकों से अधिक भुगतान राशि की प्रतिपूर्ति / वसूली की व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि –

1. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त दिशा – निर्देश का कड़ाई से अनुपालन करने हेतु अपने स्तर से भी दिशा – निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।
2. वित्त नियंत्रक, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय लखनऊ को उनके पत्र संख्या-चार-G-31-2018 दिनांक 05.08.2021 के क्रम में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत प्रकरण में योजित अवमानना याचिका संख्या-104/2021 भूप सिंह राजपूत बनाम अवनीश कुमार अवस्थी व अन्य में नियत सुनवाई-17.08.2021 के पूर्व सम्बन्धित प्रस्तुत कर्ता अधिकारी से सम्पर्क कर शपथ पत्र तैयार कराकर शासन को आज ही उपलब्ध करायें।

आज्ञा से,

(महेन्द्र प्रसाद भारती)
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या-60/2016-वे0आ0-2-1375/दस-2016, दिनांक 21 नवम्बर, 2016 का संलग्नक ।

सहमति-पत्र

मैं यह सहमति प्रदान करता हूं कि यदि कार्यालय आदेश संख्या- ...., दिनांक .... में समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0 अथवा अन्य किसी मद .... (उल्लेख किया जाय) में मेरे वेतन निर्धारण में किसी त्रुटि के कारण अथवा बाद में किसी असंगति के कारण अधिक भुगतान हो जाने की स्थिति पायी जाती है तो ऐसे अधिक किये गये भुगतान की धनराशि, सरकार द्वारा मुझे भविष्य में होने वाले भुगतानों में से समायोजन द्वारा अथवा अन्य किसी प्रकार से, मेरे द्वारा वापस कर दी जायेगी।

दिनांक : ....

स्थान : ....

हस्ताक्षर ....

नाम ....

पदनाम ....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक-3

[illegible]

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश।

गृह (पुलिस) अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक: 6 अगस्त, 2021

विषय: मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण लखनऊ में योजित निर्देश याचिका संख्या-92/2010 भूप सिंह [illegible] बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांकित 18.03.2021 के अनुपालन में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मा0 लोक सेवा अधिकरण लखनऊ द्वारा दिनांक 19.03 2021 को पारित किये गये आदेश का प्रभावी अंश निम्नवत है:-

"It is a matter of grave concern that erroneous pay fixation is done and not checked till the time of superannuation. The petitioner is being given the benefit of the Hon'ble Supreme Court's judgment but the petitioner has been overpaid for nine years by wrong and higher fixation of grade pay of Rs. 5,400/- instead of grade pay of Rs. 4,600/- Other personell of equivalent post of the petitioner would have received the correct pay on the basis of grade pay of Rs.4,600/-. It seems that it is only the responsibility of the Finance Controller, U.P. of Police Headquarter to check and that too at the time of superannuation. In a number of cases, this kind of anomaly had been found which questions the coincidence of such matters of higher fixation of pay. Respondent No. 1, Additional Chief Secretary, Department of Home is directed to put in place a time - bound system of cross - checking whenever pay fixations are done and hold a person by designation accountable for their correctness."

2. मा0 अधिकरण द्वारा पारित उपर्युक्त आदेश के अनुपालन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पुलिस विभाग के विभिन्न कार्यालयों मे वेतन निर्धारण / प्रचलित प्रक्रिया में पायी जाने वाली त्रुटियों के पुनरावृत्ति न होने तथा त्रुटियों के निवारण हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किया जाये:-

1) प्रत्येक कार्यालय में वेतन निर्धारण / संशोधन की कार्यवाही अपर पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा की जाय, जिसमें प्रधान लिपिक / चरित्र पंजिका लिपिक / क्षेत्राधिकारी कार्यालय को सदस्य के रूप में नामित किया जाय। उक्त कमेटी के वेतन संशोधन / निर्धारण की संस्तुति के बाद सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त अन्तिम रूप से वेतन निर्धारित / संशोधित किया जाये।

[illegible]

शासनादेश संख्या-60/2016-वे0आ0-2-1373/दस-2016, दिनांक, 21 नवम्बर, 2016 का संलग्नक।

सहमति-पत्र

मैं यह सहमति प्रदान करता हूँ कि यदि कार्यालय आदेश संख्या ...., दिनांक .... में समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0 अथवा अन्य किसी मद .... (उल्लेख किया जाय) में मेरे वेतन निर्धारण में किसी त्रुटि के कारण अथवा बाद में किसी असंगति के कारण अधिक भुगतान हो जाने की स्थिति पायी जाती है तो ऐसे अधिक किये गये भुगतान की धनराशि, सरकार द्वारा मुझे भविष्य में होने वाले भुगतानों में से समायोजन द्वारा अथवा अन्य किसी प्रकार से, मेरे द्वारा वापस कर दी जायेगी।

दिनांक : ....

स्थान : ....

हस्ताक्षर ....

नाम ....

पदनाम ....

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

संलग्नक-5

ई-मेल/ रजिस्टर्ड डाक द्वारा
संख्याः1709640/6-पु-1-2023

प्रेषक,

ए0पी0 राजामौलि,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1. पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2. वित्त नियंत्रक,
उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय,
लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग-1 लखनऊ दिनांकः 10 मई, 2023

विषयः रिट याचिका संख्याः 5238/2022 राम गुलाम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांकः 26.09.2022 के अनुपालन में कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्याः डब्लू-2333/6-पु-1/2022 दिनांकः 03.10.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांकः 26.09.2022 के आलोक में आवश्यक कार्यवाही कराते हुये कृत कार्यवाही की आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश शासन द्वारा दिये गये थे।

2- उल्लेखनीय है कि रिट याचिका संख्याः 5238/2022 राम गुलाम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकः 26.09.2022 को पारित किये गये आदेश का प्रभावी अंश निम्नवत हैः-

4. It has been further informed that that following remedial measures are proposed to be under taken :-

(i) Committee at each district/Unit to re-examine the ACP/fixation of pay already given to the personnel. Committee may take assistance of TO/STO at district/Unit level and if required, assistance of FC branch at PHQ.

(ii) Districts/Units will issue pay fixation orders after concurrence/vetting by FC branch of PHQ.

(iii) To explore the possibilities of developing a software for this purpose.

(iv) Conducting training of staff from each district/unit which is looking after pay fixation/ACP matters. Training to be conducted by experienced Auditors/Retd. Officers.

(v) Outsourcing service of experts (Auditors) and efforts to fill-up the existing-vacancies on priority basis.

(vi) A Committee to be formed under IG PHQ to suggest long/medium/short term measures to

[illegible] पत्र / वेतन संशोधन [illegible]

2) [illegible] में अधिकारी स्तर से [illegible] किया जाए।

3) [illegible] उल्लेख करते हुए वेतन निर्धारण / संशोधित करने की [illegible] होगी।

4) [illegible] वेतन निर्धारण संशोधन में किसी प्रकार की [illegible] पर यथाशीघ्र [illegible] पुलिस मुख्यालय से किया [illegible] जायेगी।

5) [illegible] द्वारा किसी कर्मी के वेतन निर्धारण / [illegible] के अनुसार [illegible] प्रतिपूर्तियों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए [illegible] जाएगी।

6) जिन मामलों में वर्ष पूर्व से वेतन संशोधन / निर्धारण अपेक्षित हो, उन मामलों में पुलिस मुख्यालय के वित्त नियंत्रक से पूर्व परामर्श / मार्गदर्शन प्राप्त करने के उपरान्त ही वेतन संशोधन की कार्यवाही किया जाए, जिससे अधिवर्षता आयु पर अनावश्यक की स्थिति उत्पन्न न हो सके।

7) सही – सही वेतन निर्धारण एवं भुगतान हेतु कार्यालयाध्यक्ष जिम्मेदार होंगे। साथ ही यदि किसी मामले में त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण होने के फलस्वरूप अधिक भुगतान की स्थिति बनती है तथा अधिक भुगतान प्राप्त करने वाले कर्मी से किन्हीं कारणों से वसूली सम्भव नहीं हो पाती है तो ऐसी स्थिति में शासनादेश संख्या-G-2016-वे0आ0-2-1375/दस-2016 दिनांक 21.11.2016 के अनुसार त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण / अधिक भुगतान हेतु जिम्मेदार शासकीय सेवकों से अधिक भुगतान राशि की प्रतिपूर्ति / वसूली की व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि –

1. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त दिशा – निर्देश का कड़ाई से अनुपालन करने हेतु अपने स्तर से भी दिशा – निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।
2. वित्त नियंत्रक, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय लखनऊ को उनके पत्र संख्या-चार-631-2018 दिनांक 05.08.2021 के क्रम में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत प्रकरण में योजित अवमानना याचिका संख्या-104/2021 भूप सिंह राजपूत बनाम अवनीश कुमार अवस्थी व अन्य में नियत सुनवाई-17.08.2021 से पूर्व सम्बन्धित प्रस्तुत कर्ता अधिकारी से सम्पर्क कर शपथ पत्र तैयार कराकर शासन को आज ही उपलब्ध करायें।

आज्ञा से,

(महेन्द्र प्रसाद भारती)
संयुक्त सचिव।

विभाग के शासनादेश संख्याः 60/2016-वे0आ0-2-1375/10-2016 दिनांकः 21.11.2016 तथा गृह विभाग के शासनादेश दिनॉकः 16.08.2021 तथा 03.10.2022 द्वारा कार्मिकों के वेतन निर्धारण एवं अन्य देयों के भुगतान के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

5. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रिट याचिका संख्याः 5238/2022 राम गुलाम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में उपर्युक्त प्रस्तर-4 में दियें गये दिशा-निर्देश का कड़ाई से अनुपालन करते हुये तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें किः-

1. मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकः 26.09.2022 को पारित किये गये आदेश के अनुपालन में पस्तर-4 के बिन्दु (I) के सन्दर्भ में सभी जनपदों में कमेटी का गठन हुआ है अथवा नहीं? यदि कमेटी का गठन हो चुका है तो जनपदवार कुल कितने प्रकरणों में से कितने प्रकरण का परीक्षण कर लिया गया?
2. मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये गये आदेश के अनुपालन में प्रस्तर संख्या-4 के बिन्दु (II) के सन्दर्भ में शासनादेश निर्गत होने के उपरान्त अब तक कितने प्रकरणों की वेटिंग/सहमति वित्त नियंत्रक, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रदान की गयी?
3. मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये गये आदेश के अनुपालन में प्रस्तर संख्या-4 के बिन्दु (III) के सन्दर्भ में अब तक की प्रगति?
4. मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये गये आदेश के अनुपालन में प्रस्तर संख्या-4 के बिन्दु (IV) के सन्दर्भ में अब तक कितने जनपदों में प्रशिक्षण आयोजित किये गये?
5. मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये गये आदेश के अनुपालन में प्रस्तर संख्या-4 के शेष बिन्दुओं पर की गयी कार्यवाही की अद्यतन स्थिति?

Signed by ए.वी. राजामौलि
Date: 09-05-2023 18:20:40
Reason: Approved
(ए0वी0 राजामौलि)
सचिव।

संख्या व दिनांकः तदैव।

प्रतिलिपिः समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष उत्तर प्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(ए0वी0 राजामौलि)
सचिव।

address the issue of faulty pay fixation.

(vii) Proposal for creating new posts of Auditors/Accounts cadre Officers-Class-II Officers of Finance service at district/Unit level, Class-I officers of Finance Service at Department level alongwith Accountants and Assistant Accountants.

5. This Court is satisfied that the respondents have looked into this aspect. We hope and trust that the respondents will take effective measures immediately and scrutinise all the previous orders whereby ACP or any other allowance has been granted to the Police Officers from Constable to Inspector level, carefully and where ever it is discovered that fixation of their salary/allowance has been wrongly fixed, effective measures shall be taken for rectification and recovery of the same.

6. Let an affidavit be filed by the respondents indicating was to what efforts have been taken by them in this regard within next three weeks.

3- उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई करते हुये दिनाँक: 11.11.2022 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया है:-

2. Learned Standing counsel has filed compliance affidavit sworn by Additional Director General (Establishment), D.G.P. Headquarters. In the said affidavit it has been submitted that effective measures have been taken by the respondents to curb the malpractices of fixation of higher salary to police personnel more that what is admissible to them. To redress the problem it has been informed to this Court that regular revision of pay structure of police personnel has been sought to be undertaken as a regular exercise and also to determine whether there is any wrong fixation of salary and also effective remedial measures have been taken to see that salary is correctly fixed and no excess payment is made to anybody to detect any earlier discrepancy before a person attains age of superannuation. It has further been submitted that the respondents are in process to develop a software so that such errors are curbed. It has further been submitted that at the District level committees have been formed to scrutinize the records of the police personnel. 3. This Court is of the considered opinion that that the respondents have taken effective measures to correct the menace as indicated by this Court in its previous orders. Let further affidavit be filed by the respondents to show as to what steps have been taken by them and also to indicate as to how many matters have come to their notice where salary was wrongfully fixed and what action has been taken to recover the same. 4. Let an affidavit containing all the details of the exercise under taken by the respondents in terms of the affidavit filed before this Court today. 5. Learned Standing counsel is also directed to file counter affidavit within next four weeks. Two weeks' further time shall be available to the petitioner to file rejoinder affidavit.

4- मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ द्वारा पारित किये गये उपर्युक्त आदेश के क्रम में यह उल्लेखनीय है कि अभी भी सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों के त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण सम्बन्धित जनपदों द्वारा याची से रिकवरी की जाती है, जिसके विरुद्ध मा0 न्यायालयों में अनेक रिट याचिकाएँ योजित की जा रही हैं, फलस्वरूप मा0 उच्च न्यायालय द्वारा याचियों के पक्ष में आदेश पारित किये जा रहे हैं, जिसके कारण शासन के समक्ष प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न हो रही है, जबकि इस सम्बन्ध में वित्त

संलग्नक-7

महत्वपूर्ण / मा0 उच्च न्यायालय प्रकरण / समयबद्ध
संख्या-1843044(1)/6-पु0-1-2024

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2- समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

गृह (पुलिस) अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक- 28 अगस्त, 2024

विषय- विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों के वेतन निर्धारण एवं अन्य देयों के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों के वेतन निर्धारण एवं अन्य देयों के भुगतान के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-60/2016-वे0आ0-2-1375/दस-2016 दिनांक 21.11.2016, गृह विभाग के शासनादेश संख्या-डब्ल्यू-1640/6-पु-1-2021-अ600(16)/2021 दिनांक 16.03.2021, डब्ल्यू-2333/6-पु-1/2022 दिनांक 03.10.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम रफीक मसीह (व्हाईट वाशर) एवं अन्य (2015) 4 एस0सी0सी0 334 के निर्णय के आलोक में विस्तृत दिशा निर्देश दिये गये हैं।

2- आप अवगत हैं कि विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों के वेतन निर्धारण एवं अन्य देयों के भुगतान के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम रफीक मसीह (व्हाईट वाशर) एवं अन्य (2015) 4 एस0सी0सी0 334 के अतिरिक्त थॉमस डैनियल बनाम केरल राज्य और अन्य, 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 536 और जगदीश प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य और अन्य 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 1909 में भी निर्देश दिये गये हैं।

3- शासन के उपरोक्त स्पष्ट दिशा-निर्देशों तथा माननीय उच्चतम न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद कतिपय ऐसे प्रकरण संज्ञान में आते हैं, जिनमें उक्त का समुचित अनुपालन नहीं किया जाता है, जिसके कारण माननीय न्यायालय को भी असुविधा होती है तथा शासन को भी असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है।

4- अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों के वेतन निर्धारण एवं अन्य देयों के भुगतान के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम रफीक मसीह (व्हाईट वाशर) एवं अन्य (2015) 4 एस0सी0सी0 334 के अतिरिक्त थॉमस डैनियल बनाम केरल राज्य और अन्य, 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 536 और जगदीश प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य और अन्य 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 1909 में पारित दिशा-निर्देशों तथा वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-60/2016-वे0आ0-2-1375/दस-2016 दिनांक 21.11.2016, गृह विभाग के शासनादेश संख्या- डब्ल्यू-1640/6-पु-1-2021-अ600(16)/2021 दिनांक 16.03.2021, डब्ल्यू-2333/6-पु-1/2022 दिनांक 03.10.2022 सहित तत्समय प्रवृत्त शासनादेशों एवं नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण की स्थिति में संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाए तथा वसूली न हो पाने की दशा में

अधिक भुगतान हेतु संबंधित उत्तरदायी अधिकारी एवं कर्मचारी से उक्त धनराशि की वसूली की जाए। उक्त में कोई विचलन अथवा शिथिलता स्वीकार्य न होगी।

5. कृपया उपर्युक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तद्देव-

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना/मुख्यालय एवं वित्त नियंत्रक, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
2-गृह विभाग के समस्त अनुभाग/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कमलेश कुमार)
अनु सचिव

संख्या-2/2025/वे०आ०-2-77/दस-2025-ई०प०फ०सं०-1846680

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 10 फरवरी, 2025

विषयः त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप अधिक भुगतान की वसूली में आ रही कठिनाइयों के निवारण हेतु विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों के वेतन निर्धारण एवं अन्य देयों के भुगतान हेतु दिशा-निर्देश।

महोदय,

अवगत हैं कि राज्य सरकार के कार्यालयों/संस्थाओं/प्रतिष्ठानों में नियुक्त होने एवं उसके उपरान्त प्रोन्नत वेतनमान/समयमान वेतनमान/ए०सी०पी० एवं अन्य लाभ प्राप्त होने पर सम्बन्धित कार्मिक का वेतन निर्धारित किया जाता है। उक्त के अतिरिक्त मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन की स्थिति में भी सम्बन्धित कार्मिक/याची का वेतन निर्धारित/पुनर्निर्धारित किये जाने की आवश्यकता होती है।

2- शासन द्वारा विभिन्न विभागों में लेखा संवर्ग की स्थापना का मूल उद्देश्य यह है कि प्रारम्भिक स्तर पर वित्तीय एवं लेखा सम्बन्धी कार्यों का निष्पादन एवं परीक्षण इस प्रकार हो कि वित्तीय अनियमितताओं/शासकीय धनराशि की क्षति की सम्भावना नगण्य रहे। वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं विभिन्न शासनादेशों में विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों एवं लेखा संवर्ग के अधिकारियों को वित्तीय प्रकरणों में कुशलतापूर्वक अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन किये जाने की अपेक्षा की गयी है। इस सम्बन्ध में वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 अध्याय-XVIII-A के नियम-397, 398 एवं 399 में निम्नवत प्राविधान हैं :--

397. All officers and servants are expected to observe account rules, etc. properly in the course of performance of their duties, as may be necessary. The officers vested with any financial powers are particularly required to ensure that the powers are exercised with due care keeping in view the standards of financial propriety and orders issued by Government from time to time.

398. To assist the Heads of Department and Heads of Offices in proper discharge of their duties relating to budget, expenditure control, accounts maintenance, scrutiny of claims, etc., Accounts Organizations have been established in most of the departments, headed by a Finance and Accounts Officer or a Senior Finance and Accounts Officer or a Chief Finance and Accounts Officer. The duties and responsibilities of these officers have been

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

laid down in the form of Government Orders issued from time to time. The existing orders have been reproduced in the Annexure to this Chapter.

399- The Heads of Departments will ensure that the Accounts Organization in their departments are utilized fully on the duties assigned to them under orders of Government issued from time to time, in particular the following :—

(iv) Internal audit and inspection of the accounts of the various offices and establishments of the Department including the office of the Head of the Department.

(vii) Establishment matters requiring application of Fundamental and Subsidiary rules, travelling allowance rules, pension rules and other rules relating to retirement benefits.

उक्त नियमों की व्यवस्था के आलोक में आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-आ0ले0प0-4765/6923/ले0/ले0प0 संवर्ग/का0 एवं दा0/2020, दिनांक 21.01.2021 द्वारा आन्तरिक लेखा परीक्षा का कार्य करने वाले लेखा परीक्षक एवं ज्येष्ठ लेखा परीक्षक के कार्य एवं दायित्व के अन्तर्गत वेतन निर्धारण, वार्षिक वेतनवृद्धि, समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0 तथा अन्य लाभ से सम्बन्धित प्रकरणों का परीक्षण भी सम्मिलित है।

3- वित्तीय नियमों, शासनादेशों तथा विद्यमान नीतियों/व्यवस्थाओं के बावजूद यदि किसी कार्मिक के वेतन निर्धारण में त्रुटि होने के कुछ समय पश्चात उक्त त्रुटि को संज्ञान में लाया जाता है तो उक्त वेतन निर्धारण में हुई त्रुटियों के परिणामस्वरूप कार्मिक को अधिक भुगतान की गयी धनराशि की वसूली/समायोजन में अनेक बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है एवं मामला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर असमंजस की स्थिति उत्पन्न होती है।

4- ऐसे ही प्रकरण में, State of Punjab & others Vs Rafiq Masih (White washer) & others (2015) 4 SCC 334 में मा0 उच्चतम् न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.12.2014 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा State of Punjab and Hariyana and others Vs. Jagdev singh 14 SCC 267 में पारित आदेश दिनांक 29.07.2016 द्वारा कार्मिकों के त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप अधिक भुगतान की गयी धनराशि की वसूली न किये जाने के सम्बन्ध में कतिपय मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किये गये हैं।

5- मा० उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में वित्त विभाग के पत्र संख्या-60/2016-वे०आ०-2-1375/दस-2016, दिनांक 21.11.2016 तथा गृह (पुलिस) अनुभाग-1 के पत्र संख्या-1/452722/2023, दिनांक 20.12.2023 के माध्यम से यह निर्देश प्रसारित किये गये हैं कि कार्मिकों के वेतन निर्धारण/देयों के आगणन में विशेष सावधानी अपनायी जाय तथा उनके भुगतान से पूर्व सम्बन्धित कार्मिक से इस आशय की सहमति/अण्डरटेकिंग आवश्यक रूप से प्राप्त कर ली जाय कि यदि त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण/आगणन के फलस्वरूप देयता से अधिक भुगतान हो जाता है तो वे उसका समायोजन/वसूली करायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश के साथ इस आशय का सहमति-पत्र का प्रारुप भी संलग्न किया गया था कि समयमान वेतनमान/ए०सी०पी० अथवा अन्य किसी लाभ प्राप्त होने पर किये गये वेतन निर्धारण में किसी त्रुटि के कारण अधिक भुगतान हो जाने की स्थिति में उक्त का समायोजन सम्बन्धित कार्मिक को देय धनराशि से किया जायेगा।

उक्त शासनादेश के माध्यम से यह भी निर्देश निर्गत किये गये थे कि कार्मिकों के वेतन निर्धारण एवं देयों के आगणन की जांच उसी वित्तीय वर्ष में ही पूर्ण करायी जाय और त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण/देयों के आगणन की जाँच में कदाशयता सिद्ध होने पर सम्बन्धित अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाय तथा त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण/आगणन का लाभ प्राप्त करने वाले कार्मिक से वसूली/समायोजन न हो पाने की दशा में अधिक भुगतान के उत्तरदायी अधिकारी से उक्त धनराशि की वसूली/समायोजन किया जाये।

6- कार्मिकों के वेतन निर्धारण एवं अन्य देयों के भुगतान के सम्बन्ध में वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 एवं उक्त के परिप्रेक्ष्य में निर्गत विभिन्न प्रकार के स्पष्ट आदेशों के बावजूद शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि उक्त निदेशों का अनुपालन सम्बन्धित विभागों द्वारा नहीं किया जा रहा है। परिणामस्वरूप इस प्रकार के प्रकरणों में मा० उच्च न्यायालय के समक्ष शासन को बहुधा असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है जो अत्यन्त आपत्तिजनक है जिसमें से कुछ उद्धरण निम्नवत हैं :-

(i) मा० उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता के त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप देयता से अधिक हुए भुगतान की वसूली सम्बन्धी निर्गत विभागीय आदेश को चुनौती दिये जाने सम्बन्धी रिट (ए) याचिका संख्या: 10460/2024 राम वृक्ष राम बनाम उ०प्र० राज्य एवं 03 अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा निम्नवत आदेश पारित किया गया है :--

> "17. The respondents shall pay to the petitioner costs in the sum of Rs. 20,000/- recoverable from Ashok Kumar Singh, Finance Controller/C.A.O., Police Headquarters, Lucknow and Pratap Gopendra, Commandant 4th Battalion, P.A.C., Prayag Raj to the extent of 50% each, which they will remit in the first instance in account of the learned Registrar General who will then transfer it to the petitioner. In the event, the costs are not deposited, the Registrar General shall cause it to be recovered as arrears of land revenue from the two respondents above mentioned."

(ii) मा० उच्च न्यायालय द्वारा रिट (ए) याचिका संख्या:8447/2024 सुभाष सिंह बनाम उ०प्र० राज्य एवं अन्य में दिनांक 30.02.2024 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत हैं :--

> The order directing recovery of the petitioner is contrary to law in light of the judgement of the Supreme Court in State of Punjab and Others Vs. Rafiq Masih (White Washer) and Others, reported in (2015) 4 SCC 334. The order dated 5.4.2024 passed by the Superintendent of Police,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Mirzapur directing recovery of alleged excess payment to the petitioner is hereby quashed.

The Superintendent of Police, Mirzapur is directed to refund Rs.5,08,911/- along with 6% simple interest per annum to the petitioner within one month from today and in any case by 30.6.2024. The retiral dues shall also be released in favour of the petitioner by 30.6.2024.

However, it is clarified that future pension shall be paid to the petitioner on the basis of the salary re-fixed by the authorities.

With the aforesaid directions, the petition is allowed."

(iii) मा० उच्च न्यायालय द्वारा रिट (ए) याचिका संख्या:8226/2024 कुशल पाल सिंह बनाम उ०प्र० राज्य एवं अन्य में दिनांक 23.05.2024 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है :--

The recovery of excess payment from the petitioner is contrary to law in light of the judgement of the Supreme Court in State of Punjab and Others Vs. Rafiq Masih (White Washer) and Others, reported in (2015) 4 SCC 334.

The Chief Treasury Officer, Lalitpur, District Lalitpur is directed to refund to the petitioner Rs.1,71,000/- along with 6% simple interest per annum within a period of one month from today and, in any case, by 30th June, 2024 and no further recovery shall be made from the salary or other dues of the petitioner because of alleged excess payment made to him as salary while in service.

However, it is clarified that future payment shall be made to the petitioner on the basis of the salary re-fixed by the authorities.

With the aforesaid directions, the petition is allowed."

7- उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत समस्त विभागाध्यक्षों एवं कार्यालयाध्यक्षों को निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया जाय:--

(i) वित्त विभाग के पत्र संख्या-60/2016-वे०आ०-2-1375/दस-2016, दिनांक 21.11.2016 के क्रम में यह सुनिश्चित किया जाय कि दिनांक 21.11.2016 के पूर्व के ऐसे प्रकरण जिनमें प्रोन्नत वेतनमान/समयमान वेतनमान/ए०सी०पी० एवं अन्य लाभ प्राप्त होने पर वेतन निर्धारण किये गये हों, उनमें कार्मिक से संलग्न प्रारूप पर इस आशय की सहमति पत्र/अण्डरटेकिंग आवश्यक रूप से प्राप्त कर ली जाय कि यदि त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण/आगणन के फलस्वरूप देयता से अधिक भुगतान हो गया हो तो सम्बन्धित कार्मिक के देयकों से वसूली/समायोजन सुनिश्चित किया जायेगा।

इसी प्रकार दिनांक 21.11.2016 से इस शासनादेश के जारी होने की तिथि तक के ऐसे प्रकरण जिनमें प्रोन्नत वेतनमान/समयमान वेतनमान/ए०सी०पी० एवं अन्य लाभ प्राप्त होने पर वेतन निर्धारण किये गये हों, परन्तु सम्बन्धित कार्मिक से संलग्न प्रारूप पर सहमति पत्र/अण्डरटेकिंग प्राप्त नहीं किया गया है, तो उनसे भी इस आशय की सहमति पत्र/अण्डरटेकिंग आवश्यक रूप से प्राप्त कर ली जाय कि यदि त्रुटिपूर्ण वेतन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

निर्धारण/आगणन के फलस्वरूप देयता से अधिक भुगतान हो गया हो तो सम्बन्धित कार्मिक के देयकों से वसूली/समायोजन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) समस्त विभागाध्यक्षों द्वारा अपने विभागों के कार्यालयाध्यक्षों/आहरण वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया जाय कि वेतन निर्धारण के प्रारूप, जिसका सहमति पत्र/अण्डरटेकिंग एक अनिवार्य एवं अविभाज्य अंश होगा, को कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी द्वारा कार्मिक के प्रत्येक वेतन निर्धारण के अवसर पर सेवा पुस्तिका में सम्बन्धित कार्मिक के साथ संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित करते हुए सेवा पुस्तिका में यथास्थान संलग्न किया जाना सुनिश्चित करेंगे। समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी सेवा सम्बन्धी विवरण एवं सहमति पत्र को वेतन निर्धारण के प्रारूप का अंग बनाया जाना संलग्न प्रारूप के अनुसार सुनिश्चित करेंगे।

(iii) समस्त विभागाध्यक्षों एवं कार्यालयाध्यक्षों/आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा सेवा सम्बन्धी विवरण एवं सहमति पत्र को वेतन निर्धारण के प्रारूप का अंग बनाते हुए कार्मिकों के वेतन निर्धारण एवं देयों के आगणन की जांच आवश्यक रूप से उसी वित्तीय वर्ष में ही पूर्ण करायी जाये।

(iv) ये भी निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश में संलग्न प्रारूपानुसार वेतन निर्धारण एवं सहमति पत्र सेवा पुस्तिका में संलग्न होते हुए भी त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण/देयों के आगणन की जांच में कदाशयता सिद्ध होने पर सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी/वित्त नियंत्रक/वित्त एवं लेखाधिकारी व सम्बन्धित कार्मिक का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण/आगणन का लाभ प्राप्त करने वाले कार्मिक से वसूली/समायोजन न हो पाने की दशा में अधिक भुगतान के लिए उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(v) शासनादेश में संलग्न प्रारूप के अनुसार सेवा सम्बन्धी विवरण एवं सहमति पत्र को वेतन निर्धारण के प्रारूप एवं सेवापुस्तिका का अंग न बनाये जाने की दशा में अधिक भुगतान के लिए उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से उक्त धनराशि की वसूली/समायोजन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाये।

(vi) विभागीय आन्तरिक लेखा परीक्षा समिति द्वारा मुख्यतः त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप वसूली सम्बन्धी प्रकरणों का अनिवार्यतः मासिक तथा शासन के आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ द्वारा त्रैमासिक अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

8- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्तानुसार अवगत होते हुए त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप अधिक भुगतान की गयी धनराशि की वसूली के सम्बन्ध में वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक - वेतन निर्धारण का प्रारूप।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
मुख्य सचिव।

संख्या-2/2025/वे0आ0-2-77(1)/दस-2025-ई0प0क0सं0-1846680, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश।
2- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
3- महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
4- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
5- श्री कुणाल रवि सिंह, मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र दिनांक 30.08.2024 के क्रम में।
6- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ।
7- निदेशक, आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय/निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश ।
8- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9- उ०प्र० सचिवालय के समस्त अनुभाग/इरला चेक अनुभाग।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दीपक कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संलग्नक

वेतन निर्धारण के प्रारूप के अभिन्न अंग

क- सेवा सम्बन्धी विवरण

(1) कार्मिक की सीधी भर्ती का पद एवं संवर्ग

(2) नियुक्ति की तिथि

(3) नियुक्ति का प्रकार (नियमित/तदर्थ)

(4) सीधी भर्ती के पद पर स्थायी/विनियमित किये जाने का आदेश

(5) प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं अग्रतर पदोन्नति का पद एवं योगदान का दिनांक

(6) समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत अनुमन्य किये गये लाभों का विवरण

(7) यदि नॉन फंक्शनल का लाभ अनुमन्य हुआ हो, तो उसका विवरण

(8) दिनांक 01.12.2008 की प्रास्थिति

(9) प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ए०सी०पी० के लाभ का विवरण

(10) उक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त यथावश्यक सेवा-विवरण

ख- सहमति पत्र/अण्डरटेकिंग

सहमति-पत्र

मैं यह सहमति प्रदान करता/करती हूं कि यदि कार्यालय आदेश संख्या-..... दिनांक ..... समयमान वेतनमान/ए०सी०पी० अथवा अन्य किसी पद ..... (उल्लेख किया जाय) में मेरे वेतन निर्धारण में किसी त्रुटि के कारण अथवा बाद में किसी असंगति के कारण अधिक भुगतान हो जाने की स्थिति पायी जाती है तो ऐसे अधिक किये गये भुगतान की धनराशि, सरकार द्वारा मुझे भविष्य में होने वाले भुगतानों में से समायोजन द्वारा अथवा अन्य किसी प्रकार से, मेरे द्वारा वापस कर दी जायेगी।

दिनांक:.....

स्थान:.....

हस्ताक्षर : .....

(सम्बन्धित कार्मिक)

नाम.....

पदनाम.....

मेरे द्वारा उक्त कार्मिक को .....का लाभ शासनादेश..... दिनांक ..... के प्रस्तर-..... की व्यवस्थानुसार वेतन निर्धारण एवं सहमति पत्र के सही होने की पुष्टि की जाती है।

हस्ताक्षर .....

(कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी)

दिनांक : .....

स्थान : .....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।